उ.प्र. राज्य आरोग्य निधि निर्देशिका

वर्ष 2011–2012

उ.प्र. राज्य आरोग्य निधि प्रकोष्ठ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ. प्र.
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ
फोन : 0522-2629106

राज्य आरोग्य निधि एक दृष्टि में -

1. आरोग्य निधि के आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/प्रमुख चिकित्सालयों में गरीबी रेखा के नीचे वी.पी.एल. कार्ड धारक या रू. 24,000/- वार्षिक आय तक (सक्षम अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र) जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क प्राप्त होगे।
2. उपचार के व्यय की स्वीकृति - (अ) रू. 35,000/- तक मण्डलायुक्त के स्तर पर गठित समिति। (ब) रू. 1,50000/- तक राज्य संचालन समिति (उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-1) या माननीय मुख्यमंत्री उ. प्र. शासन द्वारा विवेकानुसार स्वीकृति धनराशि। (स) रू. 1,50000/- से अधिक राशि राष्ट्रीय आरोग्य निधि भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र (संदर्भ चिकित्सालय का प्रमाण पत्र) उपचार पर होने वाले व्यय का विवरण, जो नौ विशिष्ट चिकित्सालय द्वारा ही निर्गत हो सम्बन्धित जिलों के जिला अधिकारी एवं मण्डलायुक्त की संस्तुति सहित वी.पी.एल. कार्ड/आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियों सहित पूर्ण कराकर आवेदन किये जाय।
4. विशिष्ठ चिकित्सा संस्थानों जिनके आगणन मान्य है :-
   1. एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ 2. छत्रपति शाहूजी महाराज चि.वि.वि.लखनऊ 3. बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर 4. एम.एल.बी. मेडिकल कालेज झाँसी 5. एम.एल.एन. मेडिकल कालेज इलाहाबाद 6. जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज कानपुर 7. एस. एन. मेडिकल कालेज आगरा 8. आई.एम.एस. बी.एच.यू. वाराणसी 9. जे. एल. नेहरू मेडिकल कालेज ए.एम.यू. अलीगढ़।